डीजी परिपत्र संख्या-06/2026
यक्ष परिपत्र संख्या- 04/2026

राजीव कृष्णा,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
दिनांक- फरवरी 02, 2026

प्राथमिकता – 1
Zero Tolerance against crime and criminals

प्रिय महोदया/ महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि **यक्ष ऐप के Rollout की चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया प्रचलित है।**

1- दिनांक 01.02.2026 से 10.02.2026 तक **बीट स्तर Mobile App** पर
   a. **गांव/मोहल्लों की Geo Tagging**
   b. **बीट में पड़ने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/CCTV की Geo Tagging**

की कार्यवाही की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही **यक्ष परिपत्र संख्या 02** जारी किया जा चुका है।

2- दिनांक 01.02.2026 से 10.02.2026 तक **थाना स्तर Web Dashboard** पर **अपराधी के गाँव/मोहल्ला सत्यापन** की कार्यवाही की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में **यक्ष परिपत्र संख्या 03** जारी किया जा चुका है।

DCRB को Yaksh Web Dashboard का Access दिनांक 03.02.2026 से प्रदान किया जा रहा है। DCRB द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है-

DCRB को Login की सुविधा केवल Yaksh Web Dashboard पर दी गयी है। उनके द्वारा Yaksh Mobile App पर Login नहीं किया जा सकेगा। DCRB प्रभारी द्वारा अपने CUG No. से OTP के माध्यम से Web Dashboard पर लॉगिन करते हुये निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

1. **पूर्व से सत्यापन हेतु लम्बित अपराधियों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही-**

यक्ष ऐप में त्रिनेत्र, सीसीटीएनएस एवं अन्य प्लेटफॉर्म से वर्तमान में उपलब्ध अपराधियों का डाटा मुख्य ऐप में बैकएण्ड से अपलोड कर दिया गया है, जिसमें लगभग 45 हजार अपराधियों का डाटा DCRB स्तर से Verification नहीं किया गया है।

आप यह सुनिश्चित करेंगे कि DCRB स्तर पर पूर्व से लम्बित सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 03.02.2026 से प्रारम्भ कराते हुये प्रत्येक दशा में 03 के अन्दर पूर्ण कर ली जाये ताकि थाना स्तर पर दिनांक 10.02.2026 तक अपराधी सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

त्रिनेत्र 2.0 में अपराधियों की डाटा फीड करते समय कतिपय मामलों मे अपराधियों की Audio Clip Upload नहीं की गई है। सत्यापन की कार्यवाही के दौरान DCRB प्रभारी Audio Clip Upload न होने की वजह से कोई सत्यापन Reject नहीं करेंगे।

2. यक्ष ऐप में दिनांक 10.02.2026 के पश्चात थाने स्तर पर फीड किये गये अपराधियों के सत्यापन का कार्य-

जब भी थाने स्तर पर गिरफ्तार किये गये अपराधी की Details, Voice Sample, Photo आदि फीड की जाती है तो स्वतः फीड किया गया अपराधी सत्यापन हेतु **DCRB स्तर पर सत्यापन हेतु लम्बित** प्रदर्शित होने लगेगा।

DCRB प्रभारी का दायित्व होगा कि उपरोक्त सत्यापन हेतु लम्बित Icon पर Click करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि-

1. **अभियुक्त की जानकारी सही भरी गयी है।**
2. **फोटो एवं वॉयस रिकार्डिंग की क्वालिटी उच्च कोटि की है।**
3. **कोई महत्वपूर्ण कॉलम अपूर्ण अथवा रिक्त तो नहीं है।**
4. **अगर किसी प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही की गयी है तो उसका विवरण भरा गया है कि नहीं और उसका QR Code Generate किया गया है अथवा नहीं।**

समस्त जानकारियां Check करने के उपरान्त DCRB प्रभारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी-

- DCRB स्तर से Yaksh Web Portal पर लॉगिन करने के पश्चात निम्न Dashboard प्रदर्शित होगा, Dashboard पर **मेरे जिले के आपराधिक रिकार्ड देखें** पर Click करना होगा।

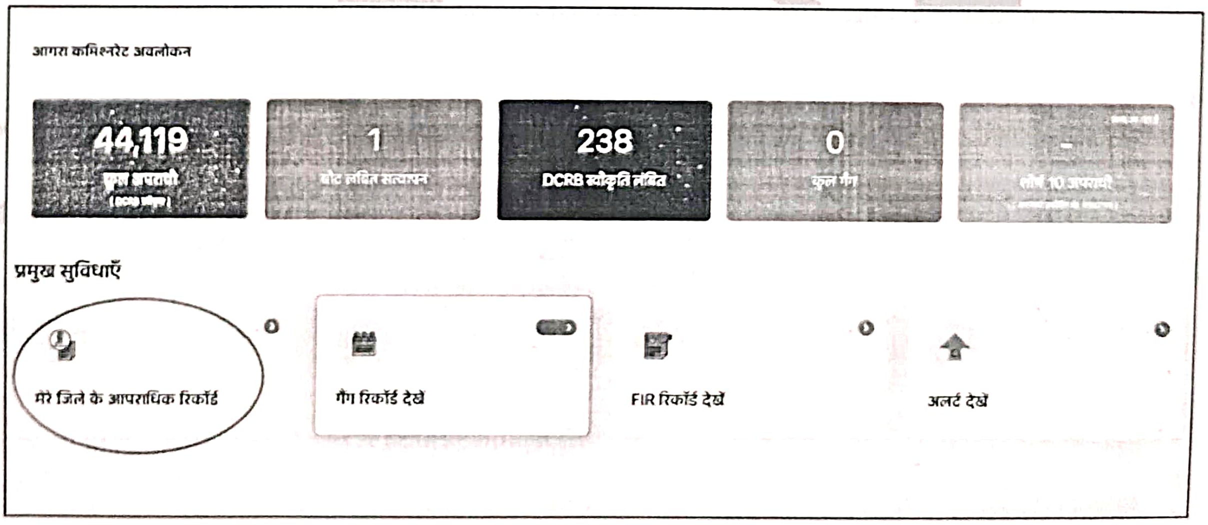

- **मेरे जिले के आपराधिक रिकार्ड देखें** पर Click करने के उपरान्त निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें DCRB स्वीकृति लम्बित Option पर Click करने पर **FIR थाने के आधार पर** विकल्प में नीचे सत्यापन हेतु लम्बित अपराधियों की सूची प्रदर्शित होगी।

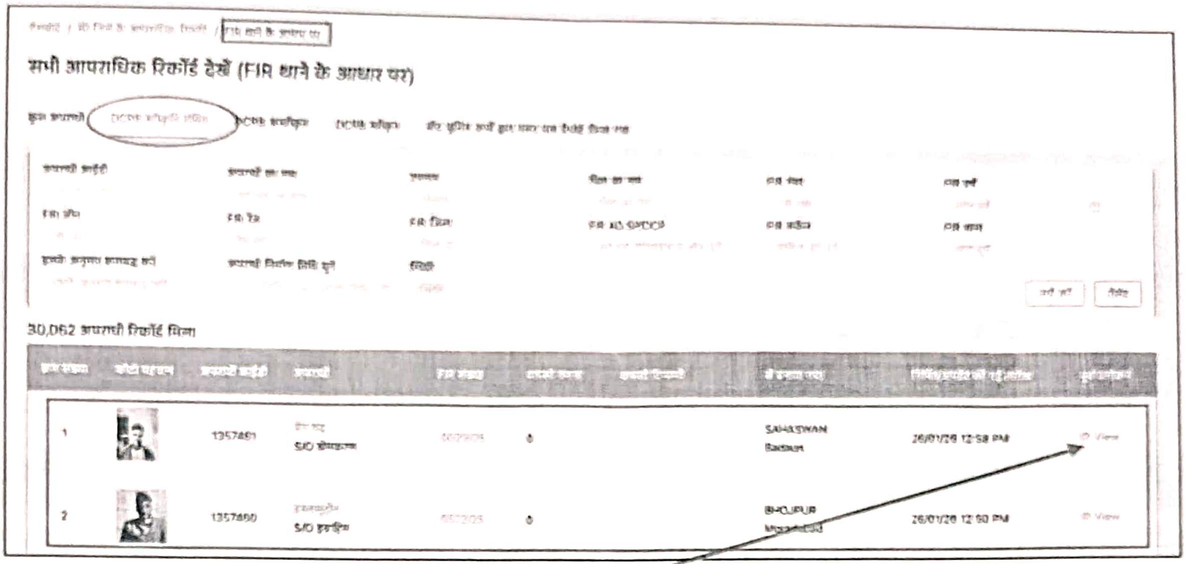

➢ सत्यापन हेतु लम्बित अपराधी के सामने View Option पर Click करने पर अपराधी का विवरण प्रदर्शित होगा। अपराधी की Photo, Audio Sample तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को चेक करने के उपरान्त **Approved Criminal / Reject Criminal पर Click** करके कार्यवाही की जायेगी। स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

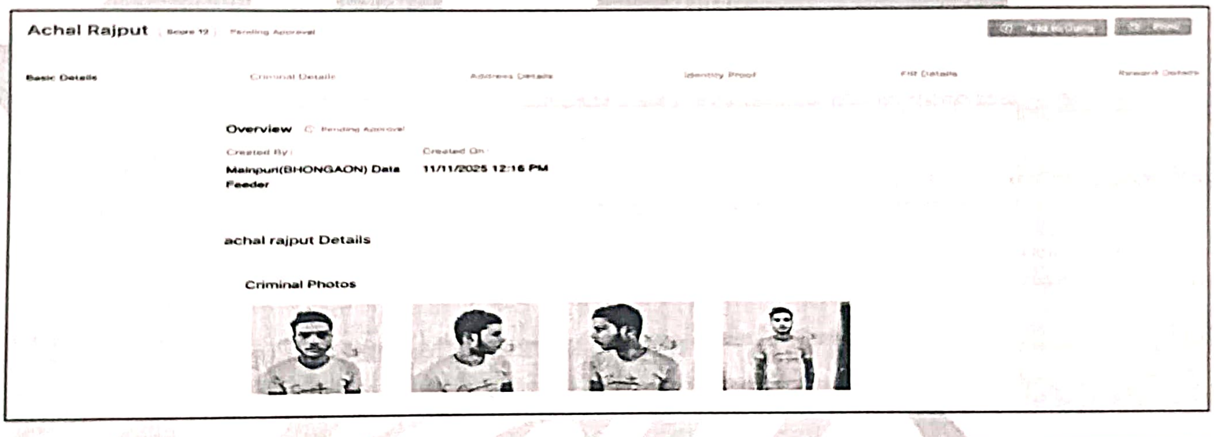

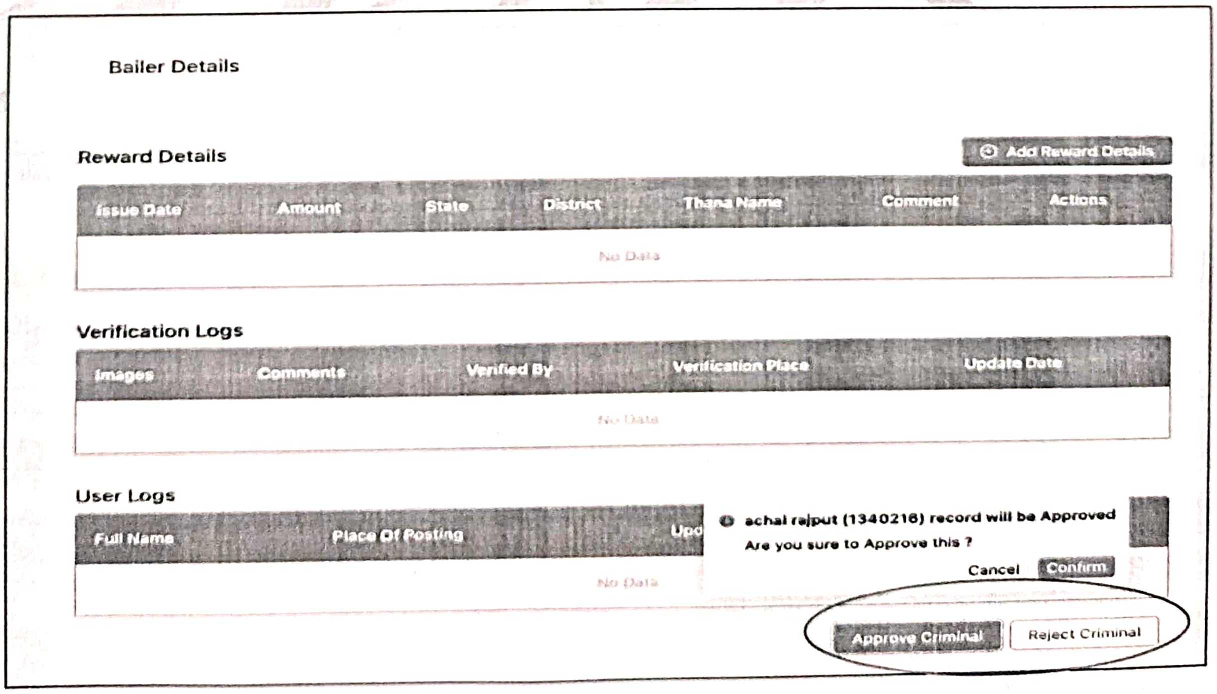

- ➢ Approved Criminal पर Click करने के उपरान्त अपराधी सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी।
- ➢ परन्तु अगर Photo, Audio Sample की क्वालिटी ठीक न होने के कारण अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की कमी के कारण DCRB स्तर से **Reject Criminal Option** का चयन किया जाता है तो **Reject करने का कारण Comment Box** में लिखते हुये कार्यवाही करेंगे।

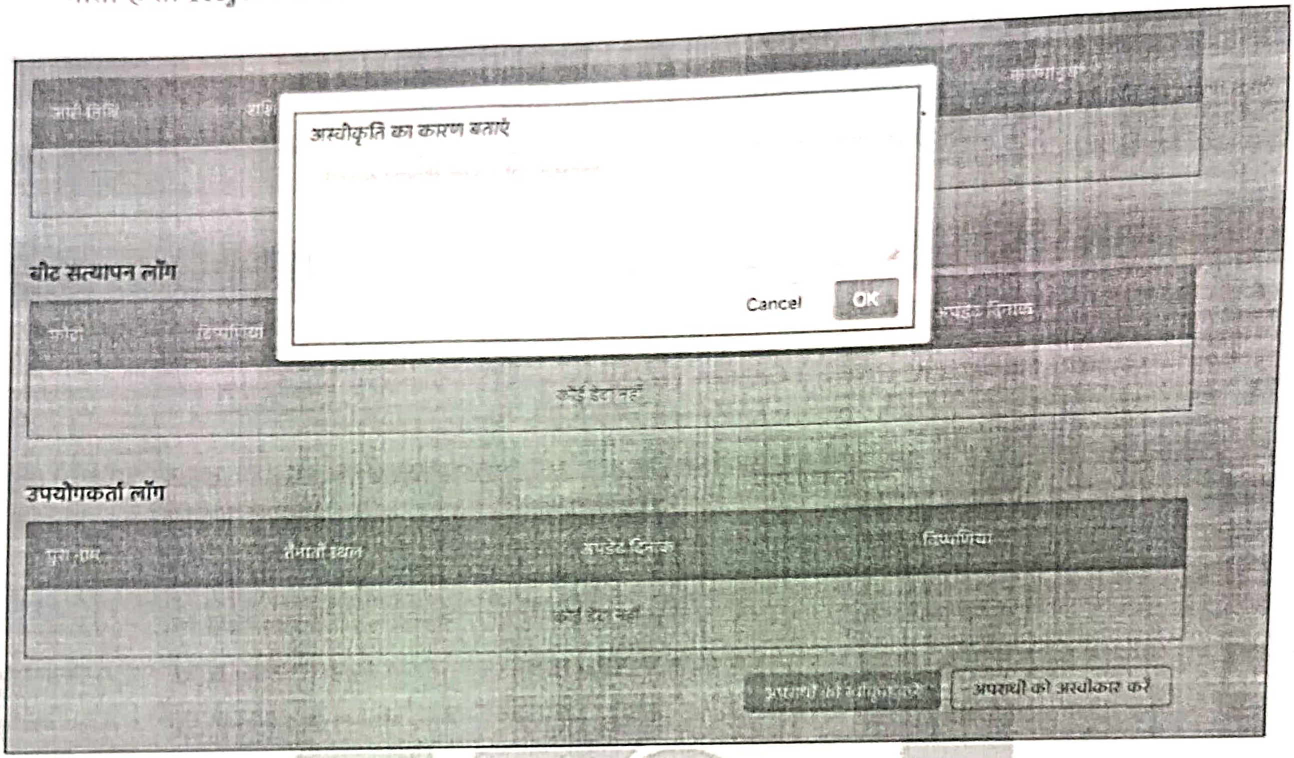

- ➢ DCRB प्रभारी का दायित्व होगा की **Reject Criminal की स्थिति में सम्बन्धित थाना प्रभारी से सामन्जस्य बैठाते हुये कमियों का निवारण** कराते हुये अपराधी सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. यक्ष ऐप में दिनांक 10.02.2026 के पश्चात गैंग रिकार्ड जोड़ने का कार्य-

पूर्व के रजिस्टर्ड D/ID/IR/IS गैंग रिकार्ड को DCRB द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही Web Dashboard के माध्यम से की जानी है। कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

- ➢ DCRB स्तर से Dashboard पर **गैंग रिकार्ड देखें** पर Click करना होगा। **गैंग रिकार्ड देखें** पर Click करने के उपरान्त निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें **नई गैंग बनाये** पर Click करना होगा।

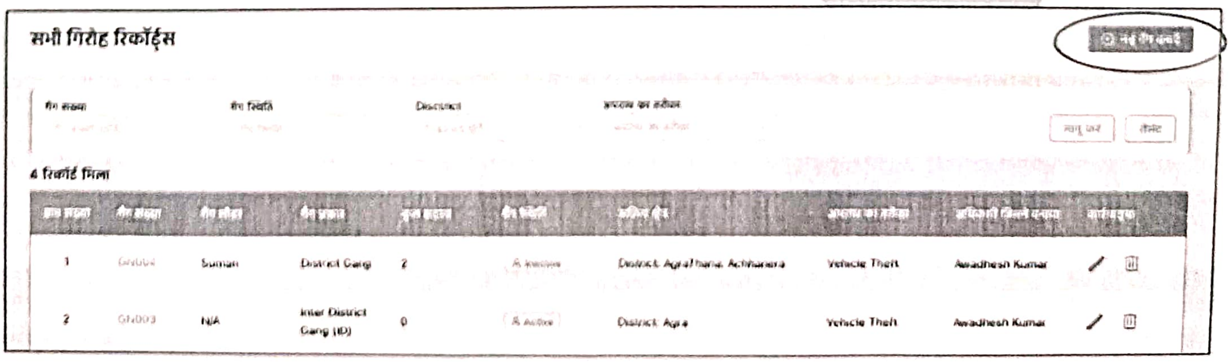

➢ नई गैंग बनाये पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी DCRB प्रभारी अपने स्तर से गैंग नम्बर Assign करते निम्न fields को भरते हुये गैंग रिकार्ड बनायेंगे।

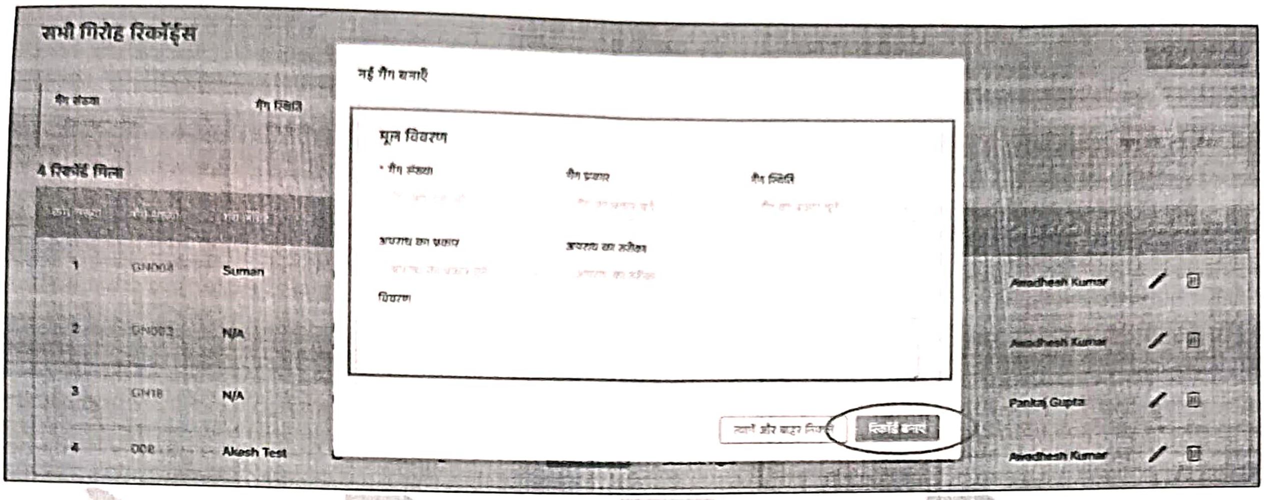

➢ इसके पश्चात पुनः **मेरे जिले के आपराधिक रिकार्ड देखें** पर Click करेंगे और सूची में प्रदर्शित हो रहे जिस **अपराधी को गैंग में जोड़ना है** उसके सामने **View के Option पर Click** करेंगे,

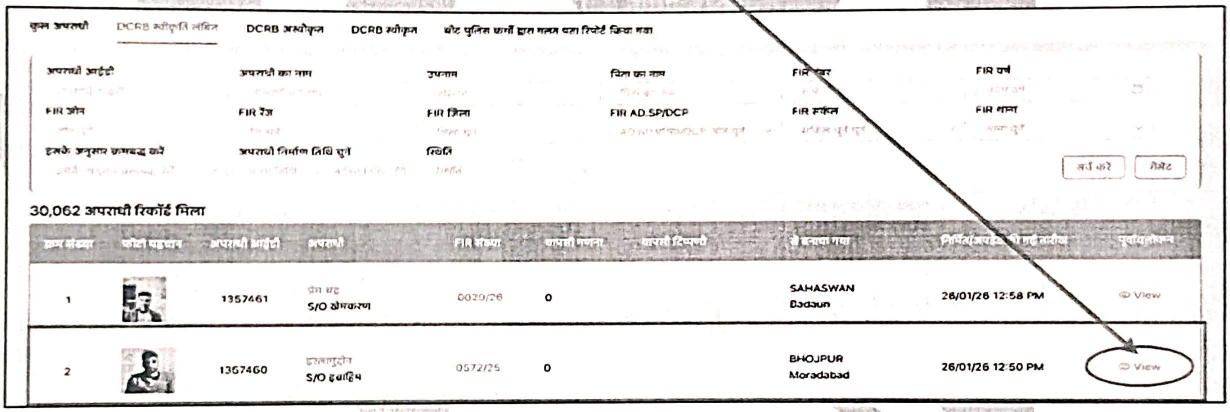

➢ View के Option पर Click करने के पश्चात उस **अपराधी की प्रोफाइल** खुल जायेगी, प्रोफाइल के ऊपर दायीं तरफ **Add to Gang का option** दिखाई देगा।

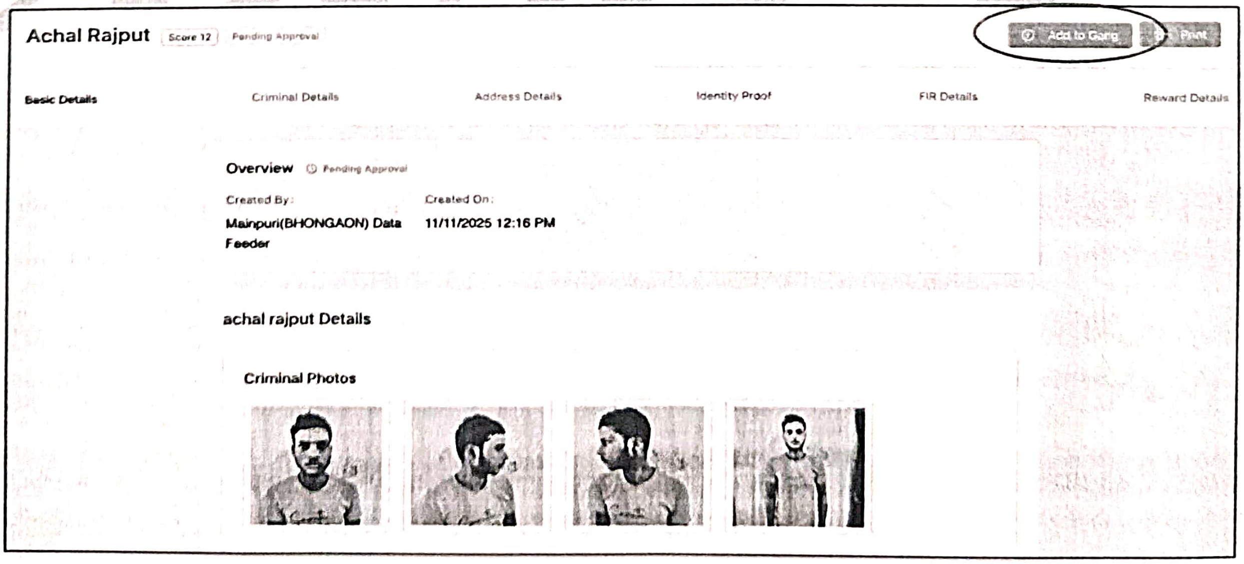

➢ **Add To Gang** के Option पर निम्न स्क्रीन दिखाई देगी-

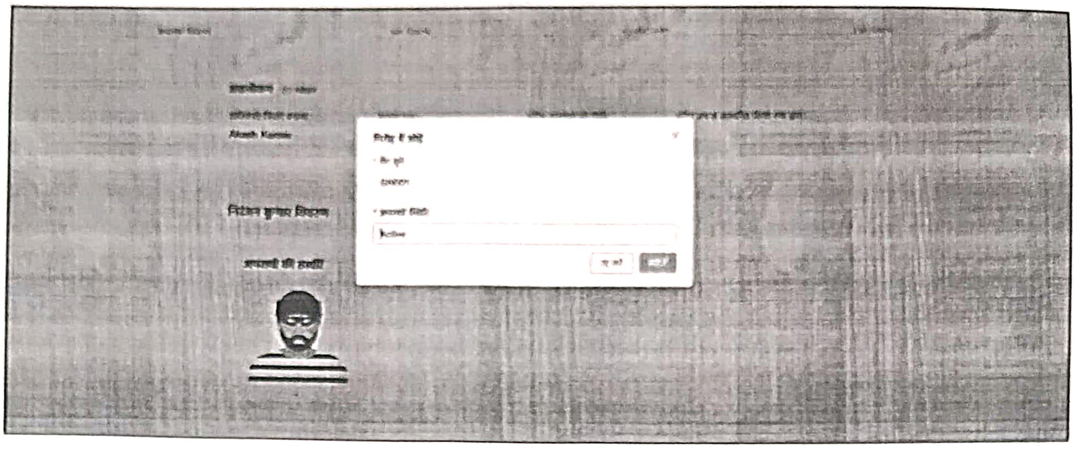

➢ उपरोक्त स्क्रीन में गैंग और अपराधी स्थिति को Select करते हुये सहेजें पर Click करेंगे तो अपराधी सम्बन्धित गैंग में जुड़ जायेगा।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त DCRB प्रभारी एंव थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि जब भी कोई अपराधी थाने पर गिरफ्तार होता है तो थाने द्वारा फीड किये गये अपराधी के विवरण में यदि कतिपय कमियां (Photo, Audio Clip etc.) प्रदर्शित हों तो आपस में सामंजस्य बैठाते हुये निर्धारित समय 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में यक्ष ऐप का सफल क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक STF, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।